रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082021-228759
CG-DL-E-05082021-228759

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2912]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 5, 2021/श्रावण 14, 1943
No. 2912]	NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 5, 2021/SRAVANA 14, 1943

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2021

का.आ. 3138(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा, 'राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद', कोलकाता (पैन-एएएएएन2541सी) जोकि संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्थापित एक स्वतंत्र निकाय है, को परिषद को होने वाली निम्नलिखित आय के संबंध में उक्त खण्ड के प्रयोजन के लिए अधिसूचित करती है, अर्थात्;-

(क) भारत सरकार से अनुदान सहायता तथा सब्सिडी के रूप में प्राप्त राशि;

(ख) शुल्कों अथवा टिकटों की बिक्री के द्वारा अंशदान;

(ग) वैज्ञानिक तथा शैक्षिक उद्देश्यों के लिए सभागार तथा अन्य जनसुविधाओं के इस्तेमाल हेतु वसूला गया अनुरक्षण प्रभार; तथा

(घ) निवेश से प्राप्त ब्याज के रूप में उद्‌भूत होने वाली अथवा उत्पन्न आय।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, कोलकाता,-

(क) किसी वाणिज्यिक कार्यकलाप में व्यस्त नहीं होगा;

(ख) कार्यकलाप तथा विनिर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्त वर्ष अपरिवर्तित रहेगी; तथा

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा(4ग) के खंड (छ) के प्रावधानों के अनुसार आय की विवरणी दाखिल करेगा;

(घ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 288(2) के स्पष्टीकरण में किए गए प्रावधान के अनुसार सनदी लेखाकार से इस प्रमाणपत्र के साथ कि उपर्युक्त शर्तें पूरी कर ली गई हैं, लेखाकार द्वारा विधिवत सत्यापित विवरणी के साथ लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्त वर्ष 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 तथा 2025-2026 के संबंध में लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 85 /2021 फा. सं. 300196/1/2021-आईटीए-I]

सौरभ जैन, अवर सचिव